न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर , जिला ग्वालियर म0प्र0

===

325
R.M.
19/12/14

राजस्व अपील संख्या /2014 R 2914 -III/14

1• नन्नी बाई बेवा हल्के कुशवाहा

2• कैलाश पुत्र हल्के कुशवाहा उम्र 14 वर्ष

3• देवेन्द्र पुत्र हल्के कुशवाहा उम्र 12 वर्ष

अपीलान्ट क्र0 2 व 3 नाबालिग द्वारा वली संरक्षक

निज माता नन्नी बाई बेवा हल्के कुशवाहा निवासीयान

छिपरी तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0

---अपीलान्ट गण / निगराकार

बनाम

क्रमांक 2849 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 2-9-14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

संजीव कुमार तनय गोपाल नायक निवासी छिपरी

---रिस्पोडेन्ट / प्रति निगराकार

प्रस्तुत निगरानी प्र0 क्र0 35बी121/13-14
आदेश दिनांक 31•7•14 के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता सहपठित

धारा 32

निगरानी कर्ता की ओर से विनय है

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त सार निम्न है -

(1) यह कि भूमि स्थित ग्राम छिपरी खसरा क्रमांक 202 /1 /2/1 निगराकार गणके स्वामित्व की भूमि है जो पूर्व में हल्के कुशवाहा के नाम दर्ज थी फौत होने पर निगराकार क्रमांक 1 पत्नी एवं 2 व 3 पुत्र के नाम परम्परागत विधिक वारसान के अनुसार नामान्तरित हो गई तत्कालीन खसरा में निगराकार क्रमांक 1 व 2 के आगे खसरा पंचशाला में नाबालिग लिखा हुआथा जिसे तहसीलदारमहोदय द्वारा बालिक दर्शादिया एवं प्रतिनिगराकार द्वारा बगैर किसी आधार पर विक्रय पत्र निष्पादित कर उपरोक्त भूमि का विक्रय अपने नाम लिखवा लिया । जिसकी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

— 2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2914-तीन/2014 जिला टीकमगढ़ नन्नो विरूद्ध संजीव कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 35/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31-07-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-09-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

15/1/19

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 15/01/19
सदस्य